12/9/23 पत्रावली पेश हुई। आवेदन पत्र बहस पुनः
वकील प्रार्थी सुनी गई। सुनी गई बहस
व विधिक प्रावधानों पर मनन किया गया।
पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज व प्रस्तुत
रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। रिपोर्ट
से स्पष्ट है कि प्रार्थीगणों रास्ते की आत्यंतिक
आवश्यकता है अतः प्रार्थीगण का आवेदन
अं. धारा 251-A RTAct स्वीकार किया
जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से रचा
गया था। निर्णय रहे व तहसीलदार दांतारामगढ़
को तामील जारी हो। पत्रावली फैसल
शुमार होकर नम्बर से कम होकर
दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़